संख्या:15/2023/730 ई-2/तेरह-2023-233324

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल,2023

विषय:-मेसर्स सिम्भावली शुगर्स लि., यूनिट: चिलवरिया, जनपद बहराइच को शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-05/दो-प्रा.डी.-98, दिनांक 06-04-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 06-04-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स सिम्भावली शुगर्स लि, यूनिट-चिलवरिया, जनपद बहराइच को शीरे के अतिरिक्त शुगर सीरप से एथनाल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई को शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों तथा आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश द्वारा शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन करने हेतु निर्गत अनापत्ति पत्र दिनांक 07-02-2023 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित करना होगाः-

(1) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु निर्गत कन्सेन्ट टू आपरेट दिनांक 16-12-2022 में उल्लिखित शर्तें।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए एथनॉल उत्पादन का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) आसवनी में शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने पर देशी मदिरा निर्माण हेतु शीरा नीति के अनुसार शीरा/ई.एन.ए. की देयता लागू रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) आसवनी द्वारा शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन में प्रयोग किये गये गन्ने के आधार पर उसके समूह की दूसरी चीनी मिल से सी-हैवी/बी-हैवी शीरे की देशी मदिरा निर्माण के लिए आपूर्ति की जायेगी।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**राकेश कुमार सचान**)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।